बिल का सारांश

संसद की ज्वाइंट कमिटी द्वारा प्रतिवेदित सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016

- सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रवर्तन और ऋण वसूली संबंधी कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) बिल, 2016 पर गठित ज्वाइंट कमिटी (चेयरपर्सन: भूपेंद्र यादव) ने 22 जुलाई, 2016 को अपनी रिपोर्ट और परिवर्तित बिल पेश किया।
- बिल चार कानूनों में संशोधन करता है जिनमें से कुछ हैं: (i) सेक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (सरफेसी एक्ट, 2002), और (ii) रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनांशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 1993 (आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993)।

सरफेसी एक्ट, 2002 में संशोधन

- **जमानत पर कब्जा** : सरफेसी एक्ट सुरक्षित लेनदारों (सेक्योर्ड क्रेडिटर) को उस जमानत, जिसकी एवज में ऋण दिया गया है, पर पुनर्भुगतान न होने की स्थिति में कब्जा करने की अनुमति देता है। यह कार्य जिला मेजिस्ट्रेट के सहयोग से किया जा सकता है और इसके लिए अदालत या ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। बिल यह प्रस्ताव रखता है कि इस प्रक्रिया को जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा 30 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। अगर जिलाधीश किन्हीं ऐसे कारणों से (जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं) 30 दिनों के अंदर आदेश जारी नहीं कर पाता, तो समय-सीमा को 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
- **डेटाबेस का निर्माण** : एक्ट के तहत सुरक्षित एसेट्स से संबंधित लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेंट्रल रेजिस्ट्री बनाई गई है। बिल में एक सेंट्रल डेटाबेस का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें इस सेंट्रल रेजिस्ट्री के साथ विभिन्न रेजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत पंजीकृत प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड जोड़े जा सकें। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013, रेजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीकरणों को जोड़ा जाएगा।
- **ऑडिट और निरीक्षण** : एक्ट आरबीआई को एसेट रीकंस्ट्रशन कंपनियों के वक्तव्यों (जैसे ऑडिट रिपोर्ट) और अन्य सूचनाओं की जांच करने के लिए अधिकृत करता है। बिल आरबीआई को अधिकृत करता है कि वह इन कंपनियों का ऑडिट और निरीक्षण खुद कर सकता है या इन ऑडिटों को करने के लिए एक विशेषज्ञ संस्था को प्राधिकृत कर सकता है। आरबीआई किसी कंपनी को दंडित कर सकता है, अगर वह कंपनी आरबीआई द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश का अनुपालन नहीं करती।
- **स्टैम्प ड्यूटी से छूट** : बिल में इस बात का प्रस्ताव है कि एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों के पक्ष में वित्तीय संपत्तियों के ट्रांसफर से जुड़े लेनदेन में स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। वित्तीय संपत्तियों में ऋण और जमानत शामिल हैं। अगर सिक्योरिटाइजेशन या रीकंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य से एसेट हस्तांतरित किया जाता है तो यह छूट लागू नहीं होगी (जैसे एआरसी के अपने प्रयोग के लिए)।
- **अपील दायर करने का क्षेत्राधिकार** : एक्ट में पीड़ित पक्ष द्वारा ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) में अपील दायर करने के आधार दिए गए हैं। बिल यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि ऐसे मामले उस डीआरटी में दायर किए जाएंगे जिसके क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, (i) जहां कार्रवाई का कारण बना (कॉज ऑफ एक्शन), (ii) जहां जमानत प्रतिभूति स्थित है, या (iii) जहां बैंक की वह शाखा स्थित है जहां ऋण बकाया है।

आरडीडीबीएफआई एक्ट, 1993 में संशोधन

- **ट्रिब्यूल का पीठासीन अधिकारी और अध्यक्ष :** आरडीडीबीएफआई एक्ट ऋण वसूली ट्रिब्यूनल

वत्सल खुल्लर
vatsal@prsindia.org

27 जुलाई, 2016

(डीआरटी) और ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) की स्थापना करता है। बिल में ऋण वसूली ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी की सेवानिवृति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की गई है। बिल के तहत पीठासीन अधिकारियों और अध्यक्षों की अपने पद पर पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है।

- बिल अन्य कानूनों (जैसे राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल) के तहत स्थापित ट्रिब्यूनलों के पीठासीन अधिकारियों को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। इसी प्रकार, वह अन्य कानूनों के तहत स्थापित अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को डीआरएटी के अध्यक्ष के कार्यों को अतिरिक्त रूप से संपन्न करने की अनुमति देता है।
- **मामला दायर करना :** एक्ट में यह प्रावधान है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों को उन ट्रिब्यूनलों में केस फाइल करना होगा जिनके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी के निवास या व्यवसाय के इलाके आते हैं। बिल में बैंक को उस ट्रिब्यूनल में केस फाइल करने की छूट दी गई है जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक की वह शाखा आती है जहां ऋण बकाया है।
- **प्रक्रियाएं** : बिल प्रस्ताव रखता है कि एक्ट के तहत कुछ प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा। इनमें विभिन्न पार्टियों की तरफ से किए जाने वाले दावों की पेशकश और ट्रिब्यूनल द्वारा जारी सम्मन शामिल हैं।

  बिल में ऋण वसूली की कार्यवाहियों की स्थिति में ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण है। इसमें आवेदक द्वारा कर्ज़दार की उस संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी किया गया है जिसे जमानत के तौर पर रखा गया है। बिल इनमें से कुछ प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारित करता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च "पीआरएस") की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है।
यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।